

यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
☎ 0522-2307542 / 2307592, फ़ैक्स: 0522-4013560
ई-मेल: upeida2@gmail.com

पत्रांक - 12486 लेखा / यूपीडा

दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

EOI हेतु सूचना


यूपीडा कार्यालय से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेंट (कर परामर्शी) की चयन प्रक्रिया हेतु Expression Of Interest (EOI) प्राप्त करना होगा। इच्छुक फर्मों को निम्नलिखित अहर्ताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा एवं तत्सम्बन्धित साक्ष्य भी संलग्न करना होगा:-

1. सी0ए0 फर्म को पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए।
2. सी0ए0 फर्म का आफिस लखनऊ में होना चाहिए।
3. सी0ए0 फर्म को सी0ए0जी0 से सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।
4. सी0ए0 फर्म का विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रत्येक वर्ष 50 लाख से अधिक होना चाहिए।
5. सी0ए0 फर्म को 10 वर्षों से अधिक के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
6. सी0ए0 फर्म का पार्टनर यूपीडा के कार्मिक का सम्बन्धी नहीं होना चाहिए।
7. सी0ए0 फर्म का कार्य क्षेत्र में विवाद नहीं होना चाहिए एवं कभी भी Blacklisted नहीं होना चाहिए।
8. सी0ए0 फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

टैक्सेशन से सम्बन्धित निम्न कार्यों का सी0ए0 फर्म द्वारा निष्पादन करना होगा:-

1. वार्षिक इन्कम टैक्स रिटर्न तैयार करना एवं दाखिल करना।
2. तिमाही फार्म 24Q (वेतन से इन्कम टैक्स कटौती सम्बन्धी) एवं फार्म 26Q कान्ट्रैक्टर एवं प्रोफेशनल फर्मों का विवरण (इन्कम टैक्स कटौती सम्बन्धी) तैयार करना तथा दाखिल करना।
3. इन्कम टैक्स एवं टी0डी0एस0 के प्रकरणों में परामर्श देना।
4. जी0एस0टी0 के प्रकरणों में परामर्श देना एवं समस्त रिटर्न दाखिल करना।
5. फार्म-16, 16ए तथा जी0एस0टी0 टी0डी0ए0ए0सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना।
6. TCS Return भरना।
7. इनकम टैक्स विभाग में चल रहे इन्कम टैक्स वादो को तैयार करना एवं उनकी पैरवी करना।

उपरोक्त सूचना मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के आदेशानुसार वेबसाइट पर अपलोड एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय से की जा रही है कि जो सी0ए0 फर्म इच्छुक है वे कार्यालय पर दिनांक 05.11.2020 के अपरान्ह 03.00 बजे तक अपना EOI उपलब्ध करा दें।


(विश्वजीत राय)
वित्त नियंत्रक